

इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का एक उपक्रम।)

(पंजीकृत कार्यालय:। हिमाद्रि, राजघाट पावर हाउस परिसर, नई दिल्ली -110002)

कॉर्पोरेट पहचान संख्या (CIN) - U40103DL2001SGC111530

वेबसाइट: www.ipgcl-ppcl.gov.in

संख्या उप प्रबन्धक (मानव संसाधन) H/16-17/01

दिनांक 02.01.17

परिपत्र

आईपीजीसीएल / पीपीसीएल के नियमित रूप से सेवा के कर्मचारियों से विद्युत विहार कालोनी, सराय काले में टाइप-II, टाइप-III व टाइप-IV के विद्युत विहार कॉलोनी, सराय काले खान, नई दिल्ली में आवासीय क्वार्टर के आवंटन के लिए वर्ष 2017 के लिए प्राथमिकता सूची तैयार करने हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। उपरोक्तानुसार, आवासीय क्वार्टर के आवंटन के लिए नई सूची 31.12.2017 तक लागू रहेगी

आवास के विभिन्न प्रकारों के लिए पात्रता दिनांक 31.01.2017 को निम्नलिखित मान्य ग्रेड पे के अनुसार निर्धारित की जाएगी:-

आवास प्रकार पात्रता	पात्रता
टाइप -I*/II	ग्रेड पे रु. 3500 तक
टाइप -III	ग्रेड पे रु. 3600 से रु. 5000 तक
टाइप -IV	ग्रेड पे रु. 5400 से रु. 7000 तक

*SKK कालोनी में टाइप I की अनुपलब्धता के कारण, आवंटन उपलब्धता के आधार पर टाइप -II क्वार्टरों में किया जाएगा।

क्वार्टरों का आईपीजीसीएल / पीपीसीएल के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के मौजूदा कर्मचारियों के लिए रिजर्वेशन 10% की सीमा टाइप I /II व 5% की सीमा टाइप III के लिए होगा।

यह नोट किया जाए कि आवेदक के द्वारा एक ही प्रकार के क्वार्टर के आवंटन के लिए केवल एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित हैं। यदि, आवेदक द्वारा एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत किए जाते हैं तो सभी आवेदनों को खारिज कर दिया जाएगा और आवेदक का नाम प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा।

कायम

निर्धारित आवेदन फार्म नं 1 नए आवंटन व फार्म नं 2 एक ही कॉलोनी में क्वार्टर के आदान-प्रदान / स्थानांतरण के लिए इस्तेमाल किया जाए। फार्म व्यक्तिगत रूप से या अनुभागीय प्रमुख/विभागीय अध्यक्ष के माध्यम से मानव संसाधन विभाग, हाउसिंग सेल, राजघाट पावर हाउस से प्राप्त किया जा सकता।

आवेदन फार्म विधिवत सभी औपचारिकताओं सहित 15 जनवरी-2017 या उससे पहले हाउसिंग सेल राजघाट पावर हाउस में पहुंच जाने चाहिए। तैयार प्राथमिकता सूची 31 दिसम्बर 2017 तक वैध रहेगी।

आवेदक यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग के अंतर्गत आता है, तो वह स्वहस्ताक्षरित जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करना चाहिए।

आवेदक को आवंटन के समय यह घोषणा / शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा की उसके नाम पर या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर दिल्ली /नई दिल्ली या उसके आसपास के क्षेत्र में उनका कोई भी घर ही नहीं।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

कपिल परिहार

(कपिल परिहार)

उप प्रबन्धक (मानव संसाधन) आवास

प्रतिलिपि :

1. सभी अनुभागीय प्रमुख / विभाग के प्रमुख : उनके अधीन काम कर रहे कर्मचारियों के बीच इस परिपत्र प्रसारित करने के अनुरोध के साथ।
2. सभी मान्यता प्राप्त यूनियन / संघ
3. सभी आईपीजीसीएल / पीपीसीएल के सूचना बोर्ड
4. प्रबंधक (आईटी): कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए अनुरोध के साथ।